न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

प्रकरण (दावा)सं0––118/2015

प्रविष्टि दिनांक ––10.7.2015

उनवान

1. रामलाल पुत्र गोरधन जाति अहीर निवासी ग्राम रानीपुरा उर्फ नयागांव तहसील व जिला टोंक
2. श्रीमती सोसर बेवा गोरधन जाति अहीर निवासी ग्राम रानीपुरा उर्फ नयागांव तहसील व जिला टोंक

–वादी/आवेदक

बनाम

तहसीलदार, टोंक

– प्रतिपक्षी

उपस्थित– श्री आशीष कुमार पाल–वकील वादी/आवेदक
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 31/7/2019

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आराजी ख.न. 538 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके गाम रानीपुरा उर्फ नयागांव में आने जाने के लिए प्रतिपक्षी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 539/339 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम रानीपुरा उर्फ नयागांव में से खसरा नम्बर 539 के पश्चिमी मेड के सहारे पूर्व पश्चिम चौडाई में 22 फिट तथ उत्तरदक्षिण चोडाई लम्बाई में रास्ता दिलाया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 539/669 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम रानीपुरा उर्फ नयागांव को रास्ते की भूमि घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकित करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी को तलब किया गया। प्रतिपक्षी ने जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब मे अंकितानुसार आवेदकगण/खातेदारान को अपने सुखाचार हेतु ख.न. 539/669 रकबा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि संलग्न नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शायी गई भूमि को सिवायचक से जो वर्तमान में रास्ते के काम में ली जा रही है कि किस्म गैरमुमकीन रास्ता (सिवायचक) में दर्ज किया जावे। जवाब के साथ नक्शाट्रेस एंव जमाबन्दी खसरा नम्बर 539/669 वाके ग्राम रानीपुरा उर्फ नयागांव पेश की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–73, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत किये जो शमिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी। हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण/खातेदारान को अपने सुखाचार हेतु ख.न. 539/669 रकबा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि संलग्न नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शायी गई भूमि को सिवायचक से जो वर्तमान में रास्ते के काम में ली जा रही है कि किस्म गैरमुमकीन रास्ता (सिवायचक) में दर्ज किया जावे। वर्तमान में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ख.न. 539/669 राजकीय सिवायचक भूमि है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है। दौराने बहस अवगत कराया गया कि उक्त रास्ते का उपयोग आवेदकगण ही नहीं अन्य काश्तकारों द्वारा भी किया जा रहा है। भविष्य में अनावश्यक वादकरण एंव विवाद से बचने के लिए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार उक्त तथ्य सुखाचार का तथ्य है और काश्तकारों के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 'क' के अनुसार अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना हो,और यदि मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो तो ऐसी स्थिति मे आवेदक को अन्य खातेदार की भूमि मे अधिकतम 30 फिट का रास्ता दिया जा सकता है, इसकी उपधारा के अनुसार दिये गये मार्ग को राजस्व अभिलेखो मे 'रास्ता' के रूप मे अभिलिखित की जायेगी। अतः उक्त अधिनियम के तहत तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर सुखाचार में आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आवेदकगण को उसकी खातेदारी की भूमि ख.न. 538 मे आने जाने के लिए तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शाट्रेस के अनुसार आवेदकगण एंव अन्य खातेदारान के उपयोग के लिए राजकीय सिवायचक भूमि आराजी ख.न. 539/669 रकबा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि मे रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार पालना कर, उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner